उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 143/2023–24 दिनांक : 25.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री त्रिलोचन शर्मा पुत्र श्री हरीश चन्द, परिवादी
छत्तरपुर, रूद्रपुर, पिन–263153,
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री त्रिलोचन शर्मा पुत्र श्री हरीश चन्द का एक शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8922306939476 (02 किलोवाट घरेलू) के जुलाई माह में रू0 1106.00 व अगस्त माह में रू0 685.00 का विद्युत बिल भुगतान किया गया था फिर भी उन्हें उसी महीने रू0 1953.00 का बिल जारी किया गया यह कैसे सम्भव है। जबकि उनके द्वारा लगभग 06 महीनों से 01 किलोवाट सोलर का उपयोग किया जा रहा है लगभग सभी उपकरण सौर ऊर्जा से ही चल रहे हैं। साथ ही विभाग की साइट पर रू0 1953.00 का बिल दर्शित हो रहा है जबकि बिल रू0 2655.00 का प्रेषित किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत मीटर की जांच कराकर अपने विद्युत बिल रू0 (रू0 2655.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 28.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 02.09.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 04.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 04.09.2023 व 25.09.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता व श्री अजय मैग्रेगर,

क्रमशः 2.....

खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–3428 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उपरोक्त विद्युत संयोजन को दिनांक 09.11.2022 से दिनांक 27.08.2023 तक की बिलिंग प्रणाली में ओ0बी0आर0 के माध्यम से 1014 रीडिंग तक का बिल संशोधित कर रू0 (–) 559.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

25/09/2023 | 25/09/2023

(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य

(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य